उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

संख्या–1608 / इक्कीस–11(59)–67

लखनऊ, 5 सितम्बर, 1969

————————

कार्यालय–ज्ञाप

सन् 1947 में हिन्दी इस प्रदेश की राज्य भाषा घोषित की गई थी। उसी समय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा भी हिन्दी घोषित कर दी गई थी। तभी से प्रशासन के साथ–साथ अदालतों की कार्यवाही में भी हिन्दी का प्रयोग निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है।

2– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसार उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियॉ अंग्रेजी भाषा में होंगी। किन्तु खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालय में निर्णयों व आदेशों को छोड़कर, उसकी अन्य कार्यवाहियों के लिये हिन्दी प्रयोग की अनुमति दे दें।

3– उक्त संवैधानिक व्यवस्था के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने वर्ष 1961 में फौजदारी के मुकदमों में तथा वर्ष 1966 में दीवानी के मुकदमों में इस बात की अनुमति दे दी कि यदि कोई वकील चाहे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बहस हिन्दी में भी कर सकता है।

4– उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से यह आदेश देते हैं कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दायर किये जाने वाले शपथ–पत्रों में और उसकी कार्यवाहियों में प्रयोग करने के लिये वाद–पुस्तिकाओं (पेपरबुक्स) में सम्मिलित किये जाने वाले बयानों और दस्तावेजों में हिन्दी का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :–

(1) यदि बेन्च चाहे तो वह विशेष रूप से आदेश दे सकती है कि हिन्दी के शपथ–पत्रों, बयानों और दस्तावेजों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाय, और

(2) यदि किसी निर्णय (जजमेंट) में हिन्दी के अभिवचनों (प्लीडिंग्स), बयानों और दस्तावेजों आदि का कोई उद्धरण सम्मिलित किया गया है तो अंग्रेजी भाषा में उसका रूपान्तर उसके तुरन्त बाद किया जाय।

5– उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग की अनुमति वैकल्पिक (आप्शनल) रूप में दी जा रही है। अतएव यदि पक्षकार (पार्टियां) चाहें तो वे इस संबंध में अंग्रेजी का इस्तेमाल भविष्य में भी कर सकते हैं।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

संख्या 1608(1) / इक्कीस–11(59)–67

प्रतिलिपि, निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

————————

संख्या 1608(2) / इक्कीस–11(59)–67:–

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त सरकारी अधिवक्ता तथा स्थाई अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
(3) हाईकोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद।
(4) अवध बार एसोसियेशन, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5) बार लाइब्रेरी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ।
(6) समस्त जिला बार एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिवालय के समस्त विभाग।

आज्ञा से,
बसंत कुमार गोस्वामी,
उप सचिव।